Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

209-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2025 (AGRAHAYANA 26, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 17th December, 2025

No. 37-HLA of 2025/78/28928.— The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 37- HLA of 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows: -

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2025. Short title.

2. Before clause (a) of section 2 of the Haryana Private Universities Act, 2006 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely:- Amendment of section 2 of Haryana Act 32 of 2006.

‘(ia) “Administrator” means a person or a committee consisting of not more than five persons to be appointed by the Government under section 44B or section 46 of this Act.’.

3. For sub-section (3) of section 34A of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of section 34A of Haryana Act 32of 2006.

“(3) The university shall not commence first enrolment of students without specific authorization of the Government.”.

4. For section 34B of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 34B of Haryana Act 32 of 2006.

“34B. Power to cancel a course.-The Government may, if it is satisfied that the university is not in a position to efficiently discharge the duties and obligations imposed, it may, after making such inquiry, as deemed fit, cancel the permission to continue the course or programme of study.”.

Substitution of section 44 of Haryana Act 32 of 2006.

5. For section 44 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"44. Powers of Government to inspect university and academic and administrative audit.-(1) The Government may cause an assessment to be made for the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the university.

(2) The Government for ascertaining and ensuring quality at different levels of higher education in a university and for its continued sustenance shall conduct annual academic and administrative audit through Higher Education Department, Haryana or any other body or persons authorized by it, which shall scrutinize whether the university is complying with and functioning in accordance with the provisions of this Act, Statutes, Ordinances, Rules, bye-laws, instructions and the conditions of the Letter of Intent.

(3) Such persons or body shall give their report within three months to the Government with specific recommendations and deficiencies, if found. The Government shall consider the report and may issue a show cause notice of fifteen days to the Chancellor/sponsoring body, as to why one or more penalties as provided under sub-section (1) of section 44A should not be imposed.

(4) After considering the reply to the show cause notice mentioned in sub-section (3), if any, the Government shall have the power to impose penalties as specified in the show cause notice.".

Substitution of section 44A of Haryana Act 32 of 2006.

6. For section 44A of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:-

"44A. Penalties.- (1) The following penalties may be imposed upon the university for maladministration, misinformation and for not maintaining standards, namely:-

(i) stopping of admissions in one or more faculties;

(ii) minimum financial penalty of ten lakhs rupees and maximum of one crore rupees;

(iii) dissolution of the university in a phased manner.

(2) Where penalty under clause (i) or (ii) of sub-section (1) is imposed and corrective action is not taken within thirty days or not found satisfactory, the Government may take recourse to impose a penalty under clause (iii) of sub-section (1) without any further notice.

44B. Procedure for phased dissolution.- (1) Where a decision is taken to dissolve the university under clause (iii) of sub-section (1) of section 44A, the Government shall dissolve the authorities of the university and appoint an Administrator to supervise, manage and regulate the affairs of the university during such phased dissolution.

(2) The Administrator shall have all the powers and shall be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act.

(3) Upon appointment of Administrator, all the assets and properties of the university shall vest in the Administrator from the date of his appointment and he shall exercise full control and management over the same.

(4) The Administrator shall meet day to day expenses from the income/liquid assets of the university. In case of insufficiency of income/liquid assets then the Administrator with the prior approval of the Government shall have the power to dispose of the properties and assets of the university.

(5) The Government if deemed necessary, may at any time replace the Administrator appointed under this section by appointing another Administrator and the Administrator so appointed shall exercise all the powers and perform all the functions under this Act from the date of his appointment.

(6) Where the Administrator, on the basis of objective material and for reasons to be recorded in writing, considers that fresh admissions to any course or programme are necessary in public interest or for ensuring academic continuity or student welfare, he may submit a recommendation to the Government and the Government may, for reasons to be recorded in writing, approve such admissions, subject to compliance with the provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances and applicable regulatory norms.

(7) The Administrator appointed under this section shall continue to administer the affairs to the university until the last batch of students of the regular courses have completed their courses and have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be, and shall thereafter submit a report to the Government.

(8) On receipt of the report under sub-section (7), the Government shall make an amendment in the Schedule by omitting concerned university therefrom and from the date of such amendment, all the assets and liabilities of the university shall vest in the sponsoring body:

Provided that the degrees, diplomas or awards granted under sub-section (7) shall not be invalid merely on the ground that the university has been dissolved.".

7. For section 46 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 46 of Haryana Act 32 of 2006.

"46. Special powers of Government in certain circumstances.-(1) Not- withstanding anything contained in this Act, where it appears to the Government that––

(a) the university has contravened any of the provisions of this Act, or of the Statutes, Ordinances or rules made thereunder, or has violated any direction issued by the Government under this Act; or

(b) the university has failed to comply with any requirement or condition laid down under sub-section (1) of section 5; or

(c) the university is involved in financial mismanagement, maladministration, academic compromise, regulatory violations or governance failures; or

(d) any act, omission, lapse, irregularity, misconduct or abuse of authority has been committed which seriously affects the functioning, integrity or standards of the university; or

(e) any grave lapse, including the matters relating to national security, sovereignty and integrity of India, public security, law and order, use or misuse of university premises for unlawful or anti-national activities (including but not limited to acts affecting sovereignty and integrity of India) or any other serious act prejudicial to public interesthas occurred,

the Government may, order an inquiry into any of such acts, contraventions or lapses as mentioned above and appoint an inquiry officer or a committee consisting of not more than five persons for this purpose.

(2) The inquiry officer or the committee so appointed shall conduct an inquiry and submit the report to the Government within thirty days from the date of such appointment.

(3) The inquiry officer or the committee shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act 5 of 1908), while trying a suit in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material, as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office; and

(d) any other matter, as may be prescribed.

(4) The inquiry officer or the committee conducting inquiry under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 215 and Chapter XXVIII of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023).

(5) On receipt of the enquiry report from the inquiry officer or the committee under sub-section (2), if the Government is satisfied that the university has contravened any of the provisions mentioned in sub-section (1), it shall issue a show cause notice of seven days to the Chancellor, Vice Chancellor, Registrar and the sponsoring body as to why the functions and powers of the authorities under sections 14, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 24 and 29 except the Visitor mentioned under clause (1) of section 14 be not conferred upon an Administrator by dissolving the said authorities.

(6) Upon consideration of the reply to the show cause notice, if any within the said period of seven days and in case if the Government is not satisfied with the reply, if any, received, may appoint an Administrator. The tenure of the Administrator so appointed shall be for a period of three years or for such extended period, as the Government may deem fit to extend, during which all authorities contemplated under sections 14, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 24 and 29 except the Visitor mentioned under clause (1) of section 14 shall cease to function. The Administrator shall function under the direct supervision of the Government.

(7) The Administrator shall file a report showing removal of violations contemplated under clauses (a) to (d) of sub-section (1) during his tenure or such extended period. In case of the acts falling within clause (e) of sub-section (1), similar report shall be provided by the Administrator to satisfy the Government about restoration of normalcy.

(8) In case of the acts falling under clauses (a) to (d) of sub-section (1), after receiving the report as contemplated under sub-section (7), if the Government is satisfied, it shall remove the Administrator and appoint new authorities under sections 14, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 24 and 29 except the Visitor mentioned under clause (1) of section 14.

(9) In case of the acts falling under clause (e) of sub-section (1), it shall only be the Government who shall appoint and continue to appoint all authorities contemplated under sections 14, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 24 and 29 except the Visitor mentioned under clause (1) of section 14 to the exclusion of sponsoring body and all assets, liabilities, functions, powers and responsibilities of the authorities shall vest in the respective authorities so appointed.

(10) Where a decision is taken by the Government to appoint an Administrator under this section, he shall function as per the provisions of sub-sections (2) to (7) of section 44B.".

Amendment of Schedule to Haryana Act 32 of 2006.

8. In the Schedule to the principal Act, after serial number 26 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-

"27. University of Design, Innovation and Technology	District Gurugram.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

After going through the various sections of the Haryana Private Universities Act, 2006 as amended from time to time, it is found that various Sections of the Act needs to be amended to streamline the procedure including Section 34A, 34B, 44, 44A and 46.

It has been noticed that some universities have started new courses, increased existing intake and changed the nomenclature of the course without the prior approval of the State Government by misusing the Sub-Section (3) of Section 34A. Accordingly, this section needs to be modified.

In Section 44 and 44 A, no procedure has been prescribed for dissolution of the University and appointment of Administrator in the University. Accordingly, it needs to be modified and new Section 44 B needs to be inserted to streamline the procedure for dissolution of the University and appointment of Administrator in the University by way of amendment. Further, the provisions of the Section 46 also need to be streamlined, so that the provisions may be broadened in the public interest and the same may be better clarified.

A proposal has also been made to allow setting up of a new University namely "University of Design, Innovation and Technology" in Gurugram to improve opportunity of higher education for the youth in the State.

Hence, this Bill.

MAHIPAL DHANDA,
Higher Education Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 17th December, 2025.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 37 एच.एल.ए.

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय, (संशोधन) विधेयक, 2025
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय, (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 2 का संशोधन ।

2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (क) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(iक) "प्रशासक" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 44ख या धारा 46 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अथवा पांच व्यक्तियों से अनाधिक से मिलकर बनने वाली कोई समिति।'।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 34क का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 34क की उप—धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) विश्वविद्यालय, सरकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना छात्रों का प्रथम नामांकन प्रारम्भ नहीं करेगा।''।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 34ख का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 34 ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''34ख. पाठ्यक्रम रद्द करने की शक्ति.— सरकार, यदि इसकी संतुष्टि हो जाती है कि विश्वविद्यालय इस पर अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने की स्थिति में नहीं है, तो यह ऐसी जांच करने के बाद, जो ठीक समझे, अध्ययन पाठ्क्रम या कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति रद्द कर सकती है।''।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 44 का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''44. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने तथा शैक्षणिक तथा प्रशासकीय लेखा—परीक्षा करने की शक्ति.— (1) सरकार, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अध्यापन, परीक्षा तथा अनुसंधान या किसी अन्य मामले के मानकों का अभिनिशचन करने के प्रयोजन के लिए किए जाने वाले निर्धारण करवा सकती है।

(2) सरकार, किसी विश्वविद्यालय में उच्चतर शिक्षा के विभिन्न स्तरों की गुणवता को अभिनिश्चित तथा सुनिश्चित करने और इन्हें सतत् बनाए रखने हेतु उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा या इस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निकाय या व्यक्तियों के माध्यम से वार्षिक शैक्षिक तथा प्रशासकीय लेखा—परीक्षा का संचालन करेगी, जो संविक्षा करेगी कि क्या विश्वविद्यालय इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, नियमों, उपविधियों के उपबन्धों, अनुदेशों तथा आशय पत्र की शर्तों का अनुपालन कर रहा है तथा के अनुसार कार्य कर रहा है।

(3) ऐसे व्यक्ति या निकाय, विशिष्ट सिफारिशों तथा कमियों, यदि पाई गई हों, के साथ सरकार को तीन मास के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगें। सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी और कुलाधिपति/प्रायोजक निकाय को पंद्रह दिन का कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है कि क्यों न धारा 44क की उपधारा (1) में यथा उपबंधित एक या एक से अधिक शास्तियां अधिरोपित की जाएं।

(4) उपधारा (3) में वर्णित कारण बताओ नोटिस के जवाब, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, सरकार को कारण बताओ नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति होगी।''।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 44क का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 44क के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:—

''44क. शास्तियां.— (1) विश्वविद्यालय पर कुशासन, मिथ्या सूचना के लिए और मानकों को न बनाए रखने के लिए निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकती हैं, अर्थात्:—

(i) एक या एक से अधिक संकायों में प्रवेश रोकना;

(ii) न्यूनतम दस लाख रुपए और अधिकतम एक करोड़ रुपए की वित्तीय शास्ति;

(iii) विश्वविद्यालय का चरणबद्ध रीति में विघटन।

(2) जहां उपधारा (1) के खण्ड (i) या (ii) के अधीन शास्ति अधिरोपित की जाती है और तीस दिन के भीतर सुधारत्मक कार्रवाई नहीं की जाती है अथवा सन्तोषजनक नहीं पाई जाती है, तो सरकार किसी अतिरिक्त नोटिस के बिना उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन शास्ति के अधिरोपण का उपाय कर सकती है।

44ख. चरणबद्ध विघटन के लिए प्रक्रिया.– (1) जहां धारा 44क की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लिया जाता है, तो सरकार विश्वविद्यालय के प्रधिकरणों को विघटित करेगी और ऐसे चरणबद्ध विघटन के दौरान विश्वविद्यालय के मामलों का पर्यवेक्षण, प्रबन्धन और विनियमित करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करेगी।

(2) प्रशासक को सभी शक्तियां होंगी और इस अधिनियम के अधीन शासकीय निकाय और प्रबन्धन बोर्ड के सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होंगी।

(3) प्रशासक की नियुक्ति पर, विश्वविद्यालय की सभी आस्तियां और संपत्तियां प्रशासक की नियुक्ति की तिथि से उसमें निहित होंगी और वह उन पर सम्पूर्ण नियंत्रण और प्रबन्धन का प्रयोग करेगा।

(4) प्रशासक, विश्वविद्यालय की आय/चल आस्तियों से दिन प्रतिदिन के खर्च पूरे करेगा। आय/चल आस्तियों की अपर्याप्तता के मामले में, प्रशासक को, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और आस्तियों का निपटान करने की शाक्ति होगी।

(5) सरकार, यदि आवश्यक समझे, किसी भी समय इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक को दुसरे प्रशासक की नियुक्ति करके बदल सकती है तथा इस प्रकार नियुक्त प्रशासक, अपनी नियुक्ति की तिथि से इस अधिनियम के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग तथा सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(6) जहां प्रशासक, वस्तुनिष्ठ सामग्री के आधार पर और लिखित में कारणों को लिपिबद्ध करते हुए समझता है कि किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में नये प्रवेश करना लोकहित में अथवा शैक्षणिक निरंतरता या छात्र कल्याण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हैं, तो वह सरकार को सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है और सरकार, लिखित में कारणों को लिपिबद्ध करके अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों के उपबन्धों और लागू विनियामक मानदण्डों की अनुपालना के अध्यधीन ऐसे प्रवेशों का अनुमोदन कर सकती है।

(7) इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक तब तक विश्वविद्यालय के मामलों का संचालन करता रहेगा जब तक नियमित पाठ्क्रमों के छात्रों का अंतिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को पूरा नहीं करते और उपाधियां, डिप्लोमा या पुरस्कार, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान नहीं कर दिए जाते और उसके बाद सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) उपधारा (7) के अधीन रिपोर्ट प्राप्ति पर, सरकार अनुसूची से संबंधित विश्वविद्यालय का लोप करते हुए उसमें संशोधन करेगी तथा ऐसे संशोधन की तिथि से विश्वविद्यालय की सभी आस्तियां और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित होंगेः

परन्तु उपधारा (7) के अधीन प्रदान की गई उपाधियों या डिप्लोमा या पुरस्कार, केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होंगे कि विश्वविद्यालय का विघटन कर दिया गया है।''।

7. (1) मूल अधिनियम की धारा 46 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः– 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 46 का प्रतिस्थापन।

''46. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियाँ.– (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार को यह प्रतीत होता है कि –

(क) विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या नियमों के किसी भी उपबन्ध की उल्लंघना की है, अथवा इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा जारी किसी निर्देश का उल्लंघन किया है; या

(ख) विश्वविद्यालय धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अधिकथित किसी अपेक्षा या शर्तों की अनुपालना करने में विफल हो गया है; या

(ग) विश्वविद्यालय वित्तीय कुप्रबन्धन, कुशासन, शैक्षणिक समझौतों, विनियामक उल्लंघनों या शासन विफलताओं में शामिल है; या

(घ) किसी भी कार्य, चूक, भूल, अनियमितता, दुर्व्यवहार या प्रधिकार का दुरूपयोग किया है, जो विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली की अखंडता या मानकों को गम्भीर रूप से प्रभावित करते हैं; या

(ङ) राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक सुरक्षा, कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों सहित कोई गम्भीर भूल, विधिविरूद्ध या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों (भारत की प्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाले कृत्यों सहित किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं) के लिए विश्वविद्यालय परिसरों का उपयोग या दुरूपयोग हुआ है या लोक हित के प्रतिकूल कोई अन्य गम्भीर कार्य हुए हैं,

तो सरकार, उपरोक्त यथा वर्णित किसी भी ऐसे कार्यों, उल्लंघन या भूल की जांच करवाने का आदेश दे सकती है और इस प्रयोजन के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर सकती है या पांच से अनाधिक व्यक्तियों से मिलकर बनने समिति नियुक्त कर सकती है।

(2) इस प्रकार नियुक्त जांच अधिकारी या गठित समिति द्वारा जांच की जाएगी और ऐसी नियुक्ति/गठन की तिथि से तीस दिन के भीतर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(3) जांच अधिकारी या समिति को वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन सिविल न्यायलय में निहित हैं, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) ऐसे किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री, जिस का साक्ष्य में अनुमान लगाया जा सकता है, का अन्वेषण करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायलय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना; तथा

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाए।

(4) इस अधिनियम के अधीन जांच करने वाले जांच अधिकारी या समिति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 215 और अध्याय XXVIII के प्रयोजनों हेतु किसी सिविल न्यायालय के रूप में समझा जाएगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन जांच अधिकारी या समिति से जांच रिपार्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि विश्वविद्यालय ने उपधारा (1) में वर्णित किसी भी उपबन्ध की उल्लंघना की है, तो यह कुलाधिपति, कुलपति, कुल–सचिव और प्रायोजक निकाय को सात दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करेगी कि क्यों न धारा 14 के खण्ड (1) के अधीन वर्णित कुलाध्यक्ष को छोड़कर धारा 14, 16, 17, 18, 18क, 19, 20, 21, 24 तथा 29 के अधीन प्राधिकरणों के कृत्य और शक्तियां उक्त प्राधिकरणों को विघटित करके प्रशासक को प्रदान कर दी जाएं।

(6) सात दिन की उक्त अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस के जवाब, यदि कोई हो, पर विचार करने पर, और यदि सरकार, प्राप्त किए गए जबाब, यदि कोई हो, से सन्तुष्ट नहीं है, प्रशासक नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार नियुक्त प्रशासक का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि, जो सरकार बढ़ाना उचित समझे, के लिए होगा, इस दौरान धारा 14 के खण्ड (1) के अधीन वर्णित कुलाध्यक्ष को छोड़कर धारा 14, 16, 17, 18, 18क, 19, 20, 21, 24 तथा 29 के अधीन अनुध्यात सभी प्राधिकरण कृत्य करना बन्द कर देंगे। प्रशासक, सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कृत्य करेगा।

(7) प्रशासक अपने कार्यकाल या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के दौरान उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के अधीन अनुध्यात उल्लंघनों के निवारण को दर्शाने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के भीतर आने वाले कार्यों के मामले में, सामान्य स्थिति बहाल करने बारे सरकार को संन्तुष्ट करने के लिए प्रशासक द्वारा समरूप रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाएगी।

(8) उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले कार्यों के मामले में, उपधारा (7) के अधीन यथा अनुध्यात रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है, तो यह प्रशासक को हटा देगी और धारा 14 के खण्ड (1) के अधीन वर्णित कुलाध्यक्ष को छोड़कर धारा 14, 16, 17, 18, 18क, 19, 20, 21, 24 तथा 29 के अधीन नए प्राधिकरणों का गठन करेगी।

(9) उपधारा (1) खण्ड (ङ) के अधीन आने वाले कार्यों के मामले में, केवल सरकार की होगी, जो प्रायोजक निकाय का अपवर्जन करते हुए धारा 14 के खण्ड (1) के अधीन वर्णित कुलाध्यक्ष को छोड़कर धारा 14, 16, 17, 18, 18क, 19, 20, 21, 24 तथा 29 के अधीन अनुध्यात सभी प्राधिकरणों का गठन करेगी तथा निरन्तर गठन करेगी तथा प्राधिकरणों की सभी आस्तियां, दायित्व, कृत्य, शक्तियां और जिम्मेवारियां इस प्रकार नियुक्त किए गए संबंधित प्राधिकरणों में निहित होंगी।

(10) जहां सरकार द्वारा इस धारा के अधीन प्रशासक को नियुक्त करने का निर्णय लिया जाता है, तो वह धारा 44ख की उपधारा (2) से (7) के उपबन्धों के अनुसार कृत्य करेगा।''।

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 26 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"27. डिजाइन, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	जिला गुरूग्राम ।''।

उद्देश्यो एवं कारणों का विवरण

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 एवं समय–समय पर किए गए संशोधनों की विभिन्न धाराओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि धारा 34 ए, 34 बी, 44, 44 ए तथा 46 की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु संशोधन आवश्यक है।

यह देखा गया है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने धारा 34 ए की उप–धारा (3) का दुरुपयोग करते हुए सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना ही नए पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए, मौजूदा प्रवेश क्षमता बढ़ा दी तथा पाठ्यक्रमों का नामकरण बदल दिया है। इसलिए इस धारा में संशोधन आवश्यक है।

धारा 44 और 44 ए में विश्वविद्यालय के विघटन और प्रशासक की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। अतः इसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है और विश्वविद्यालय के विघटन और प्रशासक की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए संशोधन द्वारा नई धारा 44 बी को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 46 के प्रावधानों को भी सुव्यवस्थित किया जाना आवश्यक है, ताकि जनहित में उनका विस्तार हो सके और उन्हें बेहतर ढंग से स्पष्ट किया जा सके।

राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु जिला गुरुग्राम में ''डिजाइन, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय'' स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है ।

महीपाल ढांडा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा ।

चण्डीगढ़:
दिनांक 17 दिसम्बर, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

12288—H.V.S.—H.G.P., Pkl.